Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-11,Issue-4,March-2018

कुंकणा आदिवासी समुह में होते हुए गुनाहों को नियंत्रित करने की परंपरागत रीति

लालजी डी. गांवित
रीसर्च स्कोलर, समाजशास्त्र,
गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद
मो.9727564878
Email:laljiganvit@gmail.com

सार (ABSTRACT)

प्रस्तुत शोध पत्र में गुजरात की पूर्वीय क्षेत्र में बसते हुए कुंकणा आदिवासी समुह में होते हुए सामान्य और गंभीर गुनाह के संदर्भ में कुंकणा आदिवासी समुह के नातेदार-संबंधी, जातिपंच, गावपंच द्वारा किस प्रकार गुनाह होने के बाद समाधान और गुनाह रोकने के लिए समाज के सामाजिक मापदंड द्वारा सामाजिक नियंत्रण की परंपरागत रीतियों का प्रचलन है और किस तरह से परंपरागत प्रतिबंध अपनाएँ जाते है उसका क्षेत्रकार्य आधारित गुजरात के दो तहशील की माहिती एकत्र करके संशोधन पत्र तैयार किया गया है और प्रस्तुत शोध पत्र में माहिती एकत्र करने में सहभागी निरीक्षण की प्रविधि का उपयोग किया गया है ।

प्रस्तावना :

गुजरात राज्य की पूर्वीय विस्तार में पहाडी और जंगलों से घीरे हुए क्षेत्र में आदिवासीओं का निवास है । इन प्रदेशो में उत्तर में अरवल्ली की पर्वतीय श्रृंखला पूर्व में सातपूडा और विध्यांचल की पर्वतश्रेणी और दक्षिण क्षेत्र में सह्याद्री की पर्वतश्रेणी में बस्ती पायी जाती है । गुजरात के आदिवासीओं

की जनसंख्या 12 जिले और 49 तहसीलों में विभाजित है । उत्तर में साबरकांठा, बनासकांठा, अरवल्ली मध्य भाग में दाहोद, गोधरा, पंचमहाल, महीसागर, बडौदा, छोटा उदेपुर, भरुच और नर्मदा तथा दक्षिण में सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी और डांग जिले में आदिवासी लोग निवास करते है । इनके अलावा गुजरात के अन्य विस्तार में आदिवासीओं की जनसंख्या पायी जाती है जिसे गुजरात में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है । गुजरात में २५ जनजातियाँ जनसमुदाय है । उनमें १३ आदिवासी समुदाय की जनसंख्या ज्यादातर पायी जाती है । जिसमें भील, चौधरी, धानका, घोडिया, दुबला-हलपति, कुकणा, गामीत, नायका, राठवा, वारली मुख्य है और अन्य आदिवासी जनसमुदायों की जनसंख्या में आदिवासी समुदाय अथवा अनुसूचित जनजाति की जन संख्या का हिस्सा 14.75 प्रतिशत है यानी आदिवासीओं की कुल 8917174 जनसंख्या देखने को मिलती है ।

उद्देश्य :

1) कुंकणा आदिवासी समुदाय का परिचय प्राप्त करना ।
2) कुंकणा आदिवासी समूह के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना ।
3) आदिवासी समुह में होते हुए गुनाहो के नियंत्रण की परंपरागत रीतियों के बारे में अवगत करना ।

संशोधन प्रविधि :

प्रत्येक संशोधनमें संशोधन पध्धति का महत्व अधिक होता है प्रस्तुत संशोधनमें साक्षातकार प्रविधि का उपयोग किया गया है । अभ्यास क्षेत्रमें जाकर अभ्यास से जुडे लोगोसे वार्तालाप किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी है।

प्रस्तुत शोध पत्र में समाविष्ट दोनों तहशीलों में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या क्रमानुसार बांसदा और कपराडा में 209,474 और 249060 में पायी जाती है । जिसमें कुंकणा और वारली समुदाय की जनसंख्या ज्यादातर पायी जाती है दोनों जाति का रहन-सहन और रित-रिवाज समान है ।

गुजरात में पायी जानेवाली आदिवासी समुदाय की जनसंख्या जाती अनुसार निम्नलिखित पायी जाती है ।

गुजरात में आदिवासी समाज की जनसंख्या (प्रतिशत में)

क्रम	जाती	जनसंख्या	प्रतिशत
1	भील	4215603	47.28
2	चौधरी	302958	3.40
3	धानका	280949	3.75
4	घोडिया	635695	7.13
5	दुबला, हलपति	643120	4.24
6	कुंकणा	361587	4.05
7	गामित	378445	4.24
8	नायका	459908	5.16
9	राठवा	642348	7.20
10	वारली	328194	3.68
11	अन्य आदिवासी समूह	668367	7.50
	कुल	**8917174**	**100.00**

Source : Census 2011, Government of India.

कुंकणा आदिवासी समुदाय का परिचय :

कुंकणा आदिवासी समुदाय की जनसंख्या दक्षिण गुजरात में मुख्यतः पायी जाती है । कुंकणा जाती कोंकण पट्टी में रहनेवाली जाती है । इसलिए 'कुंकणा' नाम से जानी जाती है । कुंकणा जाति कोंकण पट्टी में रहनेवाली जाती है इसलिए 'कुंकणा' नाम से जानी जाती है । कही पर कोंकणी, कुनबी, नाम से भी पहचानी जाती है । उनका पहेनावा और बोलने की ढब, पहचान भी कोंकण प्रदेश का पहचान कराती है । कुंकणा, कोंकणी और कुनबी सभी की रितियाँ समान तौर पर देखी जाती है । कुंकणा मूलतः गोवा से लेकर नासिक तक के क्षेत्र में निवास करते थे लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य विभाजित हुए और दोनों राज्य में कुंकणा जनजाति की जनसंख्या देखी जाती है । कुनबी शब्द का अर्थ है 'किसान' । इसलिए खेती करने वाले किसान को कुनबी या कुंकणा कहा जाता है ऐसी दंतकथा प्रचलित है । महाराष्ट्र में भी खेतीबाडी करने वाले मराठा को कुनबी कहा जाता है और गुजरात में इसी नाम से जाने जाते है ।

परंपरागत रूप से कुंकणा जनजाती समुदाय का मकान कच्चा और प्रकृतिमय पाया जाता है । बांस से बनी हुई दिवारें और दरवाजा भी बनाया जाता है । वर्तमान समय में उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है । घर में सभी प्रकार का सामान पाया जाता है जिसमें हल, लकडीयाँ, कुलडी खेती के औजार, शिकार करने के साधन और मछलियाँ पकड़ने की जाली आदि पायी जाती है । यानी सभी प्रकार के साधन प्रकृतिमय देखे जाते है । पानी पीने के घडे भी मिट्टी से बने होते है । अन्न, खाद्यसामग्री रखने के लिए भी लकड़े के बने हुए साधन देखने को मिलते है ।

गावरचना दूसरी आदिवासी जातियाँ की तरह खेतों में या पहाडी इलाकों में अलग-अलग क्षेत्र में थोडे अंतर पर देखे जाते है । इसी वजह से गाँव का विस्तार-क्षेत्र बड़ा हो जाता है ।

कुंकणा समुदाय का मुख्य व्यवसाय खेती है । खेती विशिष्ट रूप से देखी जाती है । जंगल और पर्वतीय क्षेत्र में फसल लगाने की पद्धति विशिष्ट रूप में पायी जाती है । खेती के साथ अन्य व्यवसाय में पशुपालन या खेतमजदूरी और औद्योगिक मजदूरी में भी लोग जुडे रहते है । जीवन जरूरत की चीजें, शब्दी इत्यादि घर के पास में बोई जाती है । ज्यादातर प्रकृतिमय जीवन पाया जाता है ।

कुंकणा समुदाय पहले मातृवंशीय या मातृसमाज होगा ऐसा माना जाता है लेकिन वर्तमान काल में पितृसत्ताक या पितृस्थानीय कुटुंबप्रथा पायी जाती है । घर में बड़ा बुजुर्ग घर का मुख्य सदस्य माना जाता हैं । सभी प्रकार की सत्ता उनके पास रहती है लेकिन घर के सभी सदस्य का मत जानकर ही घर में निर्णय लिये जाते है । सामान्य दृष्टि से कुंकणा आदिवासी समुदाय में बाल-विवाह देखने को नहीं मिलते । विवाह योग्य उम्र में ही हो जाता है । 'दहेजप्रथा' का प्रचलन पाया नहीं जाता लेकिन परंपरागत रीति-रिवाजों से विवाह किये जाते है । लग्नविधि 'शादी' सामान्य परंपरागत रीत-रिवाजों से की जाती है । घरजमाई 'दामाद', पुनःलग्न, तलाक आदि रीतियाँ भी पायी जाती है ।

सामाजिक व्यवहारों और धार्मिक पूजाविधिया का नियमन के लिए गाँवपंच, चोरापंच, जातिपंच के अधिन रहते है । देव-देवीयों की पूजा-आराधना करते है । साथ-साथ प्रकृति के तत्वों जैसे के पेड़, पौधे, पथ्थर के देव,

गायमाता, नागदेव, बाघ, सूर्य-चंद्र इत्यादि की भी पूजा की जाती है । पूजारी के तौर पर 'भगत' सभी प्रकार की पूजा करता है ।

गुनाहों को नियंत्रित करने की परंपरागत रीतियाँ :

दुनिया के प्रत्येक देशों के समाजो में गुनाहों का अलग-अलग स्वरूप और प्रकार देखे जाते है । इसी तरह आदिवासी समाजो में गुनाहों का विभिन्न स्वरूप पाये जाते है । किसी समाजों में परंपरा, प्रथा, रीति या जीवनशैली के रूप से पहचाने जाते है । तो किसी समाज में गुनाहों के रूप में देखे जाते है । प्रत्येक आदिवासी समुदायमें उनके सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों के लिये सामाजिक नियमों और निषेंधो का प्रचलन पाया जाता है ,जैसेकि शादी . ,वारिस अधिकार ,पूंजी ,तलाक ,कुटुंबजीवन आर्थिक प्रवृतियॉ ,जातीयजीवन , उन नियमों का .नियम और निषेध होते है सामाजिक वर्तन आदि के लिये उसीसे आदिवासी समाजमें ,पालन करना प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक है इन नियमों का पालन करवाने के लिये .में सामाजिक नियंत्रण बना रहता है उनकी अपनी पंचायत जैसी संस्था या न्यायतंत्र का विकास पाया जाता है . विधी समाजमें एकता और संगठन को बनाये रखने आदिवासीओंकी परंपरागत सदस्योंके वर्तमान वर्तन ,विभिन्न प्रवृतियों का सातत्य बनाये रखने ,के लिये .ओर भविष्यके विचलित बर्तावको रोकनेके लिये महत्व का योगदान रहता है आदिवासी समाजमें उनकी परंपरागत विधी और उनके जीवनकी नींव है

कुंकणा आदिवासी समूह में भी सामान्य से लेकर गंभीर गुनाह पाये जाते है । जिसमें सामान्य व्यवहार में सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, लग्न, प्रेम-संबंध, तलाक, चोरी जैसे जन-जीवन के हररोज की जीवनशैली में पाये जाने वाले गुनाहों को नियंत्रण करने के लिए नातेदार, संबंधी, कुटुंब, जातिपंच, गांवपंच द्वारा विभिन्न प्रयास किये जाते है ।

सामाजिक जीवनशैली में दो परिवार में किसी सामान्य मुद्दों को लेकर झगड़े होते है तो उसे नातेदार, संबंधी सामान्य गुनाह मानकर आपस में सुलझाकर उसमें करीबी नातेदार सुझ-बुझ से झगडे को नियंत्रित करते है । धार्मिक जीवन में आम तौर पर झगडे देखे नहीं जाते लेकिन यदि किसी त्यौहार को मनाने के बारे में झगडे हो तो उसे गाँवपंच उसका निराकरण करने

के गाँवपंच बेठकर सभा आयोजित करके जिस पक्ष में ज्यादातर बहुमती हो उस पक्ष में निर्णय लेकर समाधान किया जाता है ।

लग्न और प्रेमसंबंध में गुनाहित वर्तन के लिए परंपरागत रीति से गुनाह करने वाले व्यक्ति को दंड या गुनाहित वर्तन को नियंत्रित करने के लिए जातिपांच, गाँवपंच, पंयायत द्वारा निर्णय लिए जाते हैं । उसमें सामान्य जुर्माना या परंपरागत दंड पद्धति अपनाई जाती है । जिसमें ब्याह (शादी-विवाह) होने के बाद यदि घर में बहु को किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए दोनों पक्ष को गाँवपंच एकत्रित करके दोनों पक्ष की दलीले सुनी जाती है उस समय युवक-युवती को सभा से दूर रखकर और दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद युवक-युवती की भी दलिले सुनी जाती है और बाद में गाँवपंच या जातिपंच चर्चा-विचारणा करके योग्य निर्णय करते है और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो उसका पूरा ख्याल रखते है । उसके साथ 'तलाक' जैसी समस्या के लिए गाँवपंच, जातिपंच, नातेदारी-संबंधी भी तलाक के विभिन्न कारणों की जानकारी प्राप्त करने के बाद समझौता करवाते हैं और यदि समझोता स्वीकार न हो तो दोनों पक्ष ये किसी प्रकार के झगडे न हो उसकी सभी परिस्थिति पर विचार-विमर्श करके तलाक करवाते है । वह समुहो के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य बन जाता है ।

चोरी-डकेती जैसे संगीन गुनाहों के लिए भी समुदाय में नियंत्रण के लिए परंपरागत रीतियाँ अपनाई जाती है । जिसमें चोरी में पकडे जानेवाली व्यक्तिओं को दंड के तौर पर चुराई गई चीज की दुगनी किंमत चुकानी पड़ती है । जैसे कि अनाज, फल, खेतीवाडी की अन्य चीजे गाँव की मिलकत आदि को समाविष्ट किया जाता है और चोरी जैसे अपराध के लिए गाँव से बाहर 1 साल तक निकाले जाने का दंड भी दिया जाता है । सामान्य व्यवहार में देखे जाने वाले गुनाहों के लिए भी छोटे-मोटे दंड का प्रावधान किया जाता है ।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध पत्र में कुंकणा आदिवासी समुह में घटित होनेवाले सामान्य और गंभीर गुनाहों के संदर्भ में दंड या सजा पद्धति अपनाई जाती है उस विषय में निरीक्षण और मुलाकात पद्धति अनुसार शोध-पत्र तैयार किया गया है । जिसमें क्षेत्रकार्य के दौरान दोनों तहसील में से एक-एक गाँव में

बुजुर्गो और जातिपंच से साक्षात्कार करके जानकारी प्राप्त की गई है । जिससे यह फलित होता है कि दक्षिण गुजरात के कुंकणा समुदाय में गुनाहों के लिए प्रवर्तमान समय में परंपरागत रीति-रिवाजों से समाधान करते हैं । उसमें कहीं सारे परिवर्तन देखे जाते हैं और जातिपंच, गांवपंच, नातेदार-संबंधीओं को अहमियत दी जाती है और समाज जीवन की समस्याओं को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है ।

संदर्भसूचि

1) ડોચંન્દ્રકાંત ઉપા.ધ્યાય.(2009)આદિવાસીઃ . પરંપરા અને પરિવર્તન , .અમદાવાદ ,આશ્રમ રોડ ,નવભારત સાહિત્યમંદિર
2) રમણલાલ વ .દેસાઇ.ભારતીય સંસ્કૃતી ,
3) (संपा.) जानी बळवंत,(२००४) वनस्वर, गुजरात साहित्य अकादमी, प्र.स, गांधीनगर, (२००४)
4) पटेल भगवानदास (१९८८) अरवल्ली पहाडकी आस्था,तारामती पटेल-अमीत पटेल
5) सोलंकी सिध्धराज(१९८७८) आदिनासी गुजरात, खंड-१ गूजरात विध्यापीठ अमदावाद.
6) Gamit.Mahesh ,Patel.J.C.(2013)Tribal Devlopment ,Perspective and Issues
7) www.tribal.nic.in
8) www.trti.gujarat.gov.in